



झारखण्ड सरकार



कार्यालय

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)  
(गोपनीय शाखा)

दुमका पत्रांक 88/सी0/गो0



उपायुक्त,  
दुमका।



साचिव,  
उद्योग विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

दुमका, दिनांक 08/06/15

विशय:- जिला स्तरीय कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कमिटी के गठन के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 88/सी0 दिनांक 25.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि दुमका एक अल्पविकसित जिला है। इस जिला में सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों में ऐसे लघु अथवा वृहत उद्योग/कंपनी स्थापित नहीं हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है। इसप्रकार जिला में स्थापित उद्योग संलग्न गजट के कंडिका 1.4 के दायरे के अन्तर्गत नहीं हैं। साथ ही जिले में बड़ी/भारी उद्योग की अनुपलब्धता के कारण कंडिका 6.1 में अंकित जिला स्तरीय कमिटी की संरचना में 5 बड़े कारोबारियों को सम्मिलित करना संभव नहीं है।

अतः वर्णित स्थिति में दुमका जिला में जिला स्तरीय Corporate Social Responsibility (CSR) कमिटी का गठन कराने में कठिनाई है।

सादर सूचनार्थ।

21/06/15  
16/6/15  
862/D.O.10  
17.06.2015

776-9  
16/06/15

17/6/15

विश्वासभाजन,  
उपायुक्त,  
दुमका।